I

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 232967 पटना, दिनांक 25/05/15

ग्रा0वि0-5(7)/इं0आ0यो0(प्र0सू0)-42/08

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
बक्सर ।

विषय :- **इंदिरा आवास योजना की स्थायी सूची का दीवार लेखन आदि के मार्गदर्शन के संबंध में।**

प्रसंग :- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बक्सर का पत्रांक-465 दिनांक-06.04.15

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा इंदिरा आवास योजना की स्थायी सूची का दीवार लेखन आदि के संबंध में मांगे गये मार्गदर्शन के संदर्भ में कहना है कि इंदिरा आवास की मार्गदर्शिका की कंडिका-8.1.1 एवं 8.1.2 में स्थानीय क्षेत्र में आई0ए0वाई0 के सभी घटकों के कार्यान्वयन का विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाये जाने की अनिवार्यता बतायी गयी है जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर दीवारों अथवा सूचना पटों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने एवं इनमें पॉच वर्षीय प्राथमिकता सूची में परिवारों के नाम एवं पते आदि को शामिल करने का प्रावधान है (छाया प्रति संलग्न) ।

अतः उक्त प्रावधानों के आलोक में इंदिरा आवास योजना की स्थायी सूची का दीवार लेखन आदि का कार्य कराया जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

प्रदीप कुमार
22.5.15

(प्रदीप कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 232967 पटना, दिनांक 25/05/15

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित, सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ । उनसे अनुरोध है कि वे वर्ष 2015-16 के लिए चयनित लाभुकों की सूची का भी दीवार लेखन करवाएँ तथा विभागीय पत्रांक-226262 दिनांक-31.03.15 में दिये गये निदेश के आलोक में वर्ष 2015-16 के लिए सूचीबद्ध लाभुकों के आवास पर ⌂ चिन्ह भी पेन्ट करवाएँ ।

प्रदीप कुमार
22.5.15

सरकार के सचिव

इंदिरा आवास योजना
(आई.ए.वाई.)

दिशा–निर्देश

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली 110114
जून, 2013

अध्याय – 8
उत्तरदायित्व

8.1 प्रकटीकरण

8.1.1 स्थानीय क्षेत्र में आई.ए.वाई. के सभी घटकों के कार्यान्वयन का विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए और इस संबंध में निम्न अनिवार्य हैं :

(i) ग्राम पंचायत स्तर पर दीवारों अथवा सूचना पटों पर विज्ञापन प्रदर्शित करना;

(ii) एनआरएलएम के अधीन एसएचजी के सभी संगठनों को विवरणों की जानकारी देना।

8.1.2 उक्त विवरणों में निम्न शामिल होने चाहिए :

(i) पांच वर्षीय प्राथमिकता सूची में परिवारों के नाम और पते

(ii) विभिन्न घटकों के तहत एक वर्ष के लिए चयनित लाभार्थियों के नाम और पते :

(iii) चयन के लिए उपयोग किए गए मानदंड :

(iv) धन के लिए प्रत्येक पात्र परिवार और प्रदान की गई राशि;

(v) मकान के पूरे हो जाने की तारीख

8.1.3 लाभार्थियों को स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा, स्व–सहायता समूह के नेताओं तथा समुदाय संसाधन व्यक्तियों के माध्यम से निम्न के बारे में स्पष्ट एवं अनिवार्य रूप से जानकारी दी जानी चाहिए :–

(1) लाभार्थियों के अधिकार और हकदारियां

(2) लाभार्थियों की जिम्मेदारियां

(3) आवास सॉफ्ट में मोबाइल नंबर डालने के साथ–साथ पंजीकरण

(4) राज्य सरकार से मिलने वाली सहायता तथा सहायता सेवा उपलब्ध करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति एजेंसियां।

(5) अपीलों और शिकायत निवारण के लिए विभिन्न विकल्प

8.1.4 समुदाय संसाधन व्यक्तियों, सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों की सहायता से एक समवर्ती एवं स्वतंत्र निगरानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्हें एक फार्मेट दिया जाना चाहिए जिसमें उपरोक्त उल्लिखित बिंदु हों।